न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/118/2021	2021/284	17.09.2021	21.06.2022

–उनवान–

1. दिनेश पुत्र स्व0 रामजीलाल, जाति खाती।
2. महेश पुत्र स्व0 प्रहलाद, जाति खाती
3. रमेश पुत्र प्रहलाद, जाति खाती।
4. महावीर प्रसाद पुत्र रामचन्द्र, जाति खाती।
5. विवेक पुत्र स्व0 सुरेश जाति खाती निवासीयान शाहजंहांपुर, तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रोहिताश्व पुत्र बनारसीलाल जाति खटीक, निवासी ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला अलवर राज0
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला अलवर।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01.श्री अजय कुमार जांगिड –वकील प्रार्थी

02.श्री महेन्द्र कुमार माथुर –वकील अप्रार्थी नं01

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान दिनेश, महेश वगै0 बनाम रोहिताश्व वगे0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन दिनेश, महेश वगै0 बनाम रोहिताश्व वगे0 प्रकरण संख्या 308/2020 उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन है। जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट पेश किया हुआ है। जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि हाल गलत इन्द्राज के आधार पर मौके पर जहां पर गैरमुमकिन सतीमाता की छतरी स्थित है उसे किसी प्रकार की क्षती नही पहुचाये ना ही सतीमाता की छतरी को हटाकर उसपर जबरन कब्जा करें व ना ही सतीमाता की छतरी पर वादीगण व जांगिड समाज व सतीमाता में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को सतीमाता की छतरी पर जाने व वहां पर चुग्गा आदी डालने व पूजा अर्चना करने में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना करें। मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 17.12.2020 को आदेश पारित कर दिये माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसपर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.03.2021 को यह आदेश फरमाया कि मन्दिर सतीमाता की समाधी की भूमि रकबा 0.01 के क्षैत्र में यथास्थिति बनाये रखे किसी प्रकार का निर्माण कार्य आदि नही करेगें। उपखण्ड अधिकारी नीमराना को निर्देश दिये गये कि वो मौके की रिपोर्ट मगंवाकर सतीमाता की समाधी की भूमि बाबत जांच कर विनिश्चय करगें। उपखण्ड अधिकारी नीमराना को उक्त आदेश से अवगत कराने के बावजूद कोई गौर नही किया गया दिनांक 13.09.2021 को अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा कानून हाथ में लेकर उक्त सतीमाता के मन्दिर पर चारदिवारी का निर्माण कर अपनी बाउण्ड्री के अन्दर ले लिया प्रार्थी द्वारा निवेदन करने पर कोई सुनवाई नहीं की गई बल्कि चलती हुई जे.सी.बी. को देखकर वापिस लौट आये। अप्रार्थी

जिला कलक्टर, अलवर

संख्या 1 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया कि विचाराधीन मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा भी अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित करने पर अपनी सहमती जताई गई है। वकील अप्रार्थी की सहमती के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन दिनेश, महेश वगै0 बनाम रोहिताश्व वगै0 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)